	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 11, बुधवार, शाके 1937–अप्रेल 1, 2015 *Chaitra 11, Wednesday, Saka 1937–April 1, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2015

संख्या प. 2 (5) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,2015
(2015 का अधिनियम संख्यांक 8)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 20 दिसम्बर, 2014 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की

धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्त:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और

(न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो:"; और

(iii) स्पष्टीकरण-II के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण-III.-** इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए-

(i) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(ii) शब्द "विद्यालय" का वही अर्थ होगा जो उसे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2015

No. F. 2 (5) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj(Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No.8 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2015]

An
Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 20th December, 2014.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (q), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted;

(ii) after the clause (q), so amended and before the existing proviso, the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(r) in case of a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti, has not passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board;

(s) in case of a Sarpanch of a Panchayat in a Scheduled Area, has not passed class V from a School; and

(t) in case of a Sarpanch of a Panchayat other than in a Scheduled Area, has not passed class VIII from a School:"; and

(iii) after the Explanation-II, the following new Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation-III.**- For the purpose of the clauses (s) and (t) of this section-

(i) "Scheduled Area" means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India; and

(ii) the word "School" shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory

Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009).".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 2 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

5

Government Central Press, Jaipur.